झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
संख्या-10

पंचम् (बजट) सत्र
सोमवार, दिनांक-15 मार्च, 2021 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 04.59 बजे अप० तक।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार सिंह ने गत दिनों सचिन वर्मा की हुई मौत पर दोषियों पर कार्रवाई किये जाने तथा माननीय सदस्य, श्री अनन्त कुमार ओझा ने राजमहल में पश्चिम बंगाल के असामाजिक तत्वों द्वारा मछुआरो के साथ बराबर मारपीट किये जाने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया।

1.प्रश्नकाल:-

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ-

(i) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या-31

(क) उत्तरित कुल-05, अ० सू०-क-120, श्री दीपक बिरूवा, स०वि०स०,

(इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री भानू प्रताप शाही ने आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित किया कि हजारीबाग जिले के कटकमसांडी में ट्रैफिक रोककर नमाज अदा किया जा रहा था। इसकी सूचना जब स्थानीय पुलिस को दी गयी तब सूचनादाता को ही गिरफ्तार कर लिया गया जिसे सरकार द्वारा संज्ञान में लिया गया।)

	अ० सू०-165, श्री बिरंची नारायण,	स०वि०स०,
	अ० सू०-166, श्री दीपक बिरूवा,	स०वि०स०,
	अ० सू०-167, श्री राजेश कच्छप,	स०वि०स०,
	अ० सू०-168, श्री कमलेश कुमार सिंह,	स०वि०स०।
(ख) स्थगित मात्र-01,	अ० सू०-169, श्री सरयू राय,	स०वि०स०।
(ग) अनागत कुल-25,	अ० सू०-170 से अ० सू०-194 तक।	

(ii) तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या-25

(क) उत्तरित कुल-02,	तारां०-447, श्री मथुरा प्रसाद महतो,	स०वि०स०,
	तारां०-450, श्री उमाशंकर अकेला,	स०वि०स०।
(ख) अपृष्ठ मात्र-01,	तारां०-448, श्री सोनाराम सिंकू,	स०वि०स०।
(ग) स्थगित कुल-04,	तारां०-449, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह,	स०वि०स०
	तारां०-451, श्री दुलू महतो,	स०वि०स०,
	तारां०-452, श्री चमरा लिण्डा,	स०वि०स०,
	तारां०-453, श्री चमरा लिण्डा,	स०वि०स०।

(ख) अनागत कुल-18, तारां०-454 से लेकर तारां०-471 तक।

2.शून्यकाल की सूचनायें :-

आज के लिए स्वीकृत निम्नांकित शून्यकाल की सूचनायें माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी गयी-

श्री उमाशंकर अकेला,
श्री आलोक कुमार चौरसिया,
श्री समरी लाल,
श्री जय प्रकाश भाई पटेल,
श्री कुशवाहा शशिभूषण मेहता,
श्री रामचन्द्र सिंह,
श्री विनोद कुमार सिंह,
श्री समीर कुमार मोहन्ती,
सुश्री अम्बा प्रसाद,
श्रीमती ममता देवी,
श्री दीपक बिरूवा,
श्री अनन्त कुमार ओझा,
श्री राज सिन्हा,
श्री नारायण दास,
श्री इन्द्रजीत महतो,
श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता,
श्री बिरंची नारायण,
श्री मथुरा प्रसाद महतो,
श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी,
श्री राजेश कच्छप,
श्री लम्बोदर महतो,
श्री इरफान अंसारी,
श्री अमित कुमार मण्डल,
श्री अमित कुमार यादव,
श्री केदार हजरा।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री बंधु तिर्की ने राज्य के होमगार्ड जवानों द्वारा अपनी माँगों को लेकर धरना दिये जाने तथा माननीय सदस्य, श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी द्वारा गढ़वा जिला के मझिआंव प्रखण्ड मे कॉलेज के बगल में आर.के.टी.सी. कम्पनी द्वारा नियमविरूद्ध खोले गये कारखाना को हटाये जाने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया गया।)

3.कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनायें :-

माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा राज्य में नियोजन को लेकर विभिन्न संगठनो द्वारा धरना प्रदर्शन किये जाने, माननीय सदस्य, श्री लम्बोदर महतो द्वारा उत्तराखण्ड के चमोली के हादसे में रामगढ़ जिले के मृत/लापता व्यक्तियों के आश्रितों को नौकरी तथा मुआवजा देने, माननीय सदस्य, श्री जय प्रकाश भाई पटेल द्वारा कुरमी/कुड़मी जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने, माननीय सदस्य, श्री अनन्त कुमार ओझा द्वारा राज्य मे पर्यावरण की रक्षा किये जानें एवं श्री अमित कुमार मण्डल द्वारा राज्य में हो रहे मॉब लिंचिंग सम्बन्धी दिये गये कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं

को आसन द्वारा पढ़ा गया तत्पश्चात् इनके नियमानुकूल नहीं होने कारण आसन द्वारा अमान्य कर दिया गया।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री अमित कुमार यादव ने गिरिडीह जिले के बेंगाबाद में पुलिस द्वारा घर में घुसकर महिलाओं के साथ किये गये अभद्र व्यवहार तथा माननीय सदस्य, श्री सरयू राय ने अपने द्वारा दिये गये विशेषाधिकार हनन की सूचना की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया।)

4.ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनायें एवं उसपर सरकार का वक्तव्य:-

i- माननीय सदस्य, श्री मथुरा प्रसाद महतो एवं अन्य से प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

ii- माननीय सदस्य, श्री केदार हजरा एवं अन्य से प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

iii- माननीय सदस्य, श्री कुशवाहा शशिभूषण मेहता एवं अन्य से प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

5.सूचना का दिया जाना:-

आसन की अनुमति से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक-12 मार्च, 2021 को कैबिनेट की बैठक में लिये गये अहम नीतिगत निम्न निर्णयों की सूचना सदन को दी गयी-

i- राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को आपदा घोषित करते हुए मृत व्यक्तियों के आश्रित/हकदार को एक लाख रुपये का मुआवजा,

ii- राज्य के तकनीकी रूप से प्रशिक्षित एवं प्रमाणिक बेरोजगारों को प्रतिवर्ष 5,000/-रुपये दिया जाना,

iii- राज्य के निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय को 75% आरक्षण दिया जाना।

6.वित्तीय कार्य:-

आसन द्वारा पुकारे जाने पर माननीय प्रभारी मंत्री, श्री चम्पाई सोरेन द्वारा वित्तीय वर्ष-2021-22 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की माँगो खण्ड-(04) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग), अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग), परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग) एवं परिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग) की माँगे सभा में प्रस्तुत की गयी जिसपर माननीय सदस्य, श्री अमर कुमार बाउरी द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

7.वित्तीय कार्य(क्रमांक-6 से जारी):-

अन्तराल के पूर्व प्रस्तुत माँग पर आसन के निदेश से माननीय सदस्य, श्री अमर कुमार बाउरी ने चर्चा प्रारंभ की। इसके बाद निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भी भाग लिया-

श्री लोबिन हेम्ब्रम,

(इस अवसर पर माननीय सभापति, श्री स्टीफन मराण्डी ने आसन ग्रहण किया।)

श्री कोचे मुण्डा,

श्रीमती ममता देवी,

श्री प्रदीप यादव,
श्री लम्बोदर महतो,

(इस अवसर पर सभा की सहमति से कार्यवाही पर्यन्त सदन का समय विस्तारित किया गया। इस क्रम मे माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

श्री अमित कुमार यादव,
श्री किशुन कुमार दास,
श्री बंधु तिर्की,
श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी।

इसके बाद सरकार की ओर से माननीय प्रभारी मंत्री, श्री चम्पाई सोरेन द्वारा उत्तर दिया गया और वित्तीय वर्ष-2021-22 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की माँग खण्ड-(04) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग) सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तथा माननीय सदस्य, श्री अमर कुमार बाउरी द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव ध्वनिमत से अस्वीकृत हुआ।

(सरकारी उत्तर के क्रम में भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों ने विरोधस्वरूप सदन से बहिर्गमन किया।)

तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक-16.03.2020 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।

राँची,
दिनांक- 15 मार्च, 2021ई०।